97

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र/1 भोपाल, दिनांक 17 /07/2008

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल

समस्त विभागाध्याक्ष
मध्यप्रदेश

समस्त संभागीय आयुक्त
मध्यप्रदेश

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषयः- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रुप से आवंटित शासकीय सेवकों के आपसी अंतर्राज्यीय पारस्परिक स्थानान्तरण ।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आवंटन के आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात दोनो राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से पारिवारिक कठिनाईयों के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए। कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/2002 - एसआर(एस) दिनांक 1/5/2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में छत्तीसगढ़ शासन से सहमति पश्चात्, भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के समसंख्यक परिपत्र दिनांक

29.04.2005 द्वारा जारी किये गये जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 29.04.2005 में किया गया है। पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा, निर्देश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील थी जिसकी अवधि दिनांक 28.04.2006 तक थी तत्पश्चात् पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से एक-एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 29.04.2006 से 28.04.2007 एवं 29.4.2007 से 28.4.2008 तक बढ़ाई गई थी, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। अधिकारियों/कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखतें हुए छत्तीसगढ़ शासन की सहमति के अनुसार राज्य शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की यह सुविधा एक वर्ष अर्थात दिनांक 29.04.2008 से 28.04.2009 तक बढ़ाई जाती है।

पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ के संदर्भित परिपत्र दिनांक 29.04.2005 के अनुसार रहेगी।

(वाय सत्यम)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)

पृ.क्रमांकः एफ 1-17/2004/4(2)/रापुप्र/1 भोपाल, दिनांक 17 /07/2008

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर को उनके ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7 दिनांक 23 जून 2008 के संदर्भ में समान कार्यवाही एवं निर्देश प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय भोपाल की ओर अग्रेषित। कृपया जारी निर्देश का प्रकाशन प्रदेश के समाचार पत्रों में किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)